लिए भारत सरकार ... प्रमुख हैं—चौकसी कमेटी तथा राजा चलैया कमेटी।

आयकर की विशेषताएं
(CHARACTERISTICS OF INCOME TAX)

1. **प्रत्यक्ष कर**—आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर से तात्पर्य उस कर से है जिसका भार उस व्यक्ति पर पड़ता है जो उसे चुकाता है।

2. **केन्द्रीय कर**—आयकर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया एवं वसूल किया जाता है।

3. **कुल आय पर कर**—कर कुल आय पर लगाया जाता है। इसे कर-योग्य आय भी कहते हैं। कुल आय की गणना अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

4. **कर-मुक्त सीमा**—यदि आय निर्धारित राशि से अधिक होती है तो आय कर लगता है। कर-मुक्त सीमा तक की आय पर कर नहीं लगता। कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए कर-मुक्त सीमा निम्न है :

(क) वरिष्ठ नागरिक—भारत में निवासी जिसकी आयु 60 वर्ष या अधिक है, परन्तु 80 वर्ष से कम है—3,00,000 ₹;

(ख) अति वरिष्ठ नागरिक—भारत में निवासी जिसकी आयु 80 वर्ष या अधिक है : 5,00,000 ₹;

(ग) अन्य व्यक्ति (individuals), हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समूह—2,50,000 ₹;

(घ) फर्म, कम्पनी, स्थानीय सत्ता—शून्य।

5. **प्रगतिशील कर की दरें**—एक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ या समूह की सम्पूर्ण आय पर एक दर से कर नहीं देना होता। जैसे-जैसे आय बढ़ती जाती है कर की दर भी बढ़ती जाती है। आय कर की दर न्यूनतम 5% तथा अधिकतम 30% है। फर्म एवं कम्पनी की आय पर 30% की दर से आय कर लगता है।

6. **अधिभार**—आय कर की राशि पर अधिभार भी लगाया जाता है। कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए अधिभार की दरें निम्न हैं :

(i) व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ या समूह—अधिभार (क) @ 10% यदि कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है परन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है; (ख) @ 15% यदि कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है;

(ii) फर्म-अधिभार @ 12% यदि कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है;

(iii) घरेलू कम्पनी (क) @ 7% यदि कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, परन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है; (ख) @ 12% यदि कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है।

नोट : तीनों दशाओं में सीमान्त राहत का प्रावधान भी लागू होता है। (आगे देखें)

7. **स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर**—सभी करदाताओं को आयकर एवं अधिभार की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर देना होगा।

8. **कर-भार**—व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार पर कर प्रगतिशील दरों से लगता है इससे धनी व्यक्तियों पर कर भार अधिक होता है।

9. **प्रशासन**—आयकर लगाने एवं वसूल करने का कार्य आयकर विभाग द्वारा किया जाता है। यह विभाग प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के नियन्त्रण में कार्य करता है।

10. **आयकर की राशि का बंटवारा**—आयकर से एकत्रित राशि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को प्राप्त होती है। परन्तु निम्न राशियों में से राज्य सरकारों को हिस्सा नहीं मिलता :

(i) कम्पनियों से प्राप्त आयकर;

(ii) अधिभार की राशि;

(iii) स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर।